(6)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/भोपाल/भू.रा./2018/1756 विरूद्ध आदेश दिनांक 22.01.2018 पारित द्वारा अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल प्रकरण क्रमांक 0297/अपील/2017-18.

श्री भगवानसिंह दांगी आ. श्री भुजबलसिंह दांगी
निवासी ग्राम भैसोंदा तहसील बैरसिया
जिला भोपाल, म.प्र.

.....आवेदक

विरूद्ध

1. श्रीमती गीताबाई पत्नी स्वर्गीय विनयसिंह दांगी
   निवासी ग्राम नरेला तीन रेट की पुलिया के पास,
   शिव नगर कॉलोनी, तहसील बैरसिया, जिला भोपाल
2. श्रीमती श्रृंगार बाई पत्नी भीकमसिंह दांगी
   निवासी ग्राम रोझिंया तहसील बैरसिया
   जिला भोपाल, म.प्र.

.....अनावेदकगण

श्री जगदीश जैन, अभिभाषक, आवेदक
श्री शिवराज सिंह दांगी, अभिभाषक, अनावेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 3/10/18 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा पारित दिनांक 22.01.2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक द्वारा नायब तहसीलदार, बैरसिया के समक्ष अपीलाधीन भूमि के नामांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। नायब तहसीलदार ने प्रकरण क्र. 20/अ-6/14-15 दर्ज कर दिनांक 31.03.2016 को आदेश पारित कर आवेदन पत्र निरस्त किया गया। नायब तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, बैरसिया के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी ने दिनांक 08.11.2017 को आदेश पारित कर अपील स्वीकार की गई। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अनावेदक क्र. 1 द्वारा द्वितीय अपील अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल के समक्ष प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 22.01.2018 को आदेश पारित कर अपील स्वीकार कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश स्थिर रखा गया। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं-

(1) व्यवहार न्यायालय बैरसिया में प्रचलित प्रकरण रकबा 4.44 एकड़ का नामांतरण किये जाने से संबंधित है, जबकि आवेदक द्वारा शेष भूमि 2.56 एकड़ का नामांतरण अपने नाम किये जाने का निवेदन किया जा रहा है। उक्त नामांतरण से व्यवहार न्यायालय के आदेश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों की प्रकृति भिन्न है।

(2) उक्त प्रकरण आदेश पत्रिका दिनांक 26.12.2017 को आवेदक के बिना सूचना पत्र तामीली के अनुपस्थिति दर्ज कर एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए प्रकरण आदेशार्थ नियत किया जाकर दिनांक 22.01.2018 को आवेदक की अनुपस्थिति में एकपक्षीय आलोच्य एवं विधि विरूद्ध आदेश पारित किया गया है।

(3) द्वितीय अपीलीय न्यायालय द्वारा स्वयं के न्यायालय में लंबित अपील के संमस के तामील पेशी दिनांक 20.12.2017 की त्रुटिपूर्ण तामील को वैध तामील मानते हुए प्रकरण में दिनांक 26.12.2017 को आवेदक/अनावेदक क्र. 1 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कर त्रुटिपूर्ण आदेश पारित किया गया।

(4) प्रकरण एवं आदेश पत्रिका के अवलोकन से यह बात भी स्पष्ट होती है कि विचारण न्यायालय व अपीलीय न्यायालय के मूल रिकॉर्ड को प्राप्त किये बिना आदेश पारित किये हैं।

(5) आवेदक द्वारा स्वयं का नामांतरण रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को दिनांक 17.08.1998 के आधार पर चाहा गया है, जिसके आधार पर नामांतरण किया जाना वैधानिक है। इस तर्क के समर्थन में आर.एन. 1981 नोट 277, आर.एन. 1984 नोट एवं 2001 भरोसीलाल विरूद्ध राजेश नोट 5 एवं 96 नोट 264 के न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किये गये हैं।

(6) यदि स्थगन नहीं तो नामांतरण की कार्यवाही को नहीं रोका जा सकता है। इस तर्क के समर्थन में आर.एन. 1984 नोट 31 एवं आर.एन. 1977 नोट 386 के न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किये गये हैं।

अत: उनके द्वारा अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश को निरस्त कर निगरानी स्वीकार करने का अनुरोध किया गया है।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं-

(1) अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश गुण-दोषों के आधार पर पूर्णत: विधि अनुसार है। उक्त आदेश में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। उक्त आदेश पूर्णत: बोलता हुआ आदेश है।

(2) अपर आयुक्त द्वारा अपील क्र. 297/अपील/2017-18 में पूर्ण रूप से विधि अनुसार प्रकिया अपनाई गई थी। अपर आयुक्त द्वारा आवेदक व अनावेदक क्र. 2 को जरिये समंस के उक्त अपील के संबंध में अवगत कराया गया था। उक्त समंस की तामील विधिक प्रक्रिया के अनुसार पूर्ण रूप से की गई थी। तामीलकर्ता द्वारा तामील से संबंधित सूचना आवेदक व अनावेदक क्र. 2 को देकर उस पर अभिस्वीकृति प्राप्त की गई थी।

(3) आवेदक द्वारा जिस विक्रय पत्र दिनांक 17.08.1998 के आधार पर खसरा क्र. 212/2/1 रकबा 2.56 एकड़ का नामांतरण अपने नाम पर कराना चाहता है। उक्त विक्रय पत्र के विक्रेता का नाम पर राजस्व अभिलेखों में इन्द्राज नहीं है। ऐसी स्थिति में अन्य किसी व्यक्ति के नाम की भूमि उक्त पंजीयत विक्रय पत्र के आधार पर नामांतरित नहीं कराई जा सकती।

(4) आवेदक द्वारा जिस विक्रय पत्र के आधार पर नामांतरण कराना चाहता है, उक्त पंजीयत विक्रय पत्र को व्यवहार न्यायालय द्वारा आर.सी.एस.नं.-27/अपील/2006 निर्णय दिनांक

25.07.2006 के अनुसार प्रभावहीन व शून्यघोषित किया जा चुका है। उक्त प्रभावहीन व शून्य पंजीयत विक्रय पत्र के आधार पर नामांतरण विधि अनुसार कराया नहीं जा सकता। अत: अनावेदक द्वारा अपर आयुक्त के आदेश को स्थिर रखते हुए निगरानी निरस्त करने का अनुरोध किया गया।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश में व्यवहार न्यायालयों में प्रचलित रहे प्रकरणों का न तो कोई उल्लेख किया गया है और न ही यह देखा गया है कि नामान्तरण किये जाने से व्यवहार न्यायालय के आदेशों का पालन हो रहा है अथवा नहीं । तहसील न्यायालय के आदेश से स्पष्ट है कि आवेदक के नाम जिस विक्रय पत्र के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रश्नाधीन भूमि पर नामान्तरण किया गया है, जबकि राजस्व अभिलेख में उक्त भूमि विक्रेता के नाम दर्ज ही नहीं है, ऐसी स्थिति में नामान्तरण नहीं किया जा सकता है । अत: अनुविभागीय अधिकारी के अवैधानिक आदेश को अपर आयुक्त द्वारा निरस्त करने में वैधानिक एवं न्यायिक कार्यवाही की गई है, इसलिये अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.01.2018 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर